दिनांक–10.12.2025 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है :–

1. **बागमती नदी के दाएं तटबंध 15.24 कि०मी० से 79.00 कि०मी०, बायें तटबंध के 7.27 कि०मी० से 81.19 कि०मी०, भरथुआ रिंग बाँध के 0.00 कि०मी० से 2.13 कि०मी०, एवं धनौर कटरा रिंग बाँध के 0.00 कि०मी० से 4.70 कि०मी० का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य :–**

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्री–लेवल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ हीं सीट प्रीपरेशन कार्य योजना में निहित 144.00 कि. मी. के सापेक्ष्य 42.00 कि.मी. की लम्बाई में किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित में संवेदक/संवेदक प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि योजना हेतु वर्तमान में 22.00 लाख m^3 मिट्टी कार्य के विरूद्ध 09.00 लाख m^3 मिट्टी कार्य हेतु बौरो एरिया चिन्हित किया जा चुका है तथा 04. 00 लाख m^3 का माईनिंग प्लान तैयार कर संबंधित जिला खनन पदाधिकारी को समर्पित किया गया है।

साथ हीं यह भी बताया गया कि इस कार्य अन्तर्गत तटबंध के शीर्ष, स्लोप एवं टो भाग में पेड़ों को चिन्हित कर हटाने निमित्त क्षेत्रीय अभियंताओं एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है।

योजना अन्तर्गत प्रोटेक्शन कार्य में प्रयुक्त होने वाली स्थानीय बालू की निकासी कर नदी की धारा को स्ट्रीमलाईन किये जाने के उद्देश्य के संबंध में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा यह सूचित किया गया कि एक सप्ताह में प्लान तैयार कर विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।

योजना में मशीनरी तथा कार्यबल के मोबाईलेजेशन की धीमी प्रगति के क्रम में यह निदेश दिया गया कि इसमें तेजी लाते हुए कार्यबल एवं मशीनरी की समुचित संख्या कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए योजना को वर्क प्रोग्राम के अनुसार समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही शेष बौरो एरिया का माईनिंग प्लान अविलम्ब संबंधित खनन पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. **सारण तटबंध के कि0मी0 80.00 से कि0मी0 152.00 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक कार्य तथा शीर्ष पर कालीकरण कार्य :–**

मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा यह बताया गया कि संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार कार्य को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है। परंतु कार्यस्थल पर वर्क्स प्रोग्राम के अनुरुप वांछित संसाधन यथा मशीनरी/श्रमबल आदि की कमी के कारण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में इस योजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं है। समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि द्वारा

आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह के अंदर वांछित संसाधन कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर ली जायेगी।

क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि समर्पित वर्क्स प्रोग्राम के अनुरुप वांछित सभी संसाधन की कार्यस्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज)

3. **<u>बलान एवं जमुआरी नदी का गाद उड़ाही कार्य</u>** :–

समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत जमुआरी नदी पर 33 अदद् द्विपथीय सेतु का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 07 अदद् द्विपथीय सेतु के निर्माण हेतु डाईवर्सन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। द्विपथीय सेतु के निर्माण में भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में जमुआरी नदी के उड़ाही हेतु 54.22 एकड़ भू–अर्जन किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए LA Plan तैयार कर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को समर्पित है।

कार्य की धीमी प्रगति के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है एवं बार–बार पत्र के माध्यम से कार्य में प्रगति लाने हेतु कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में मानवबल, मशीनरी एवं सामग्री बढ़ने के लिए निदेशित करने के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी जा रही है ।

बैठक में कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के अनुरूप कार्य को Rescind करने के लिए संवेदक से कारण पृच्छा करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

4. **बागमती बायां तटबंध के कि.मी. 0.00 से 7.27, बायां एफलक्स बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.04, दायें तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 9.72, दोआब तटबंध के कि.मी. 9.00 से कि.मी. 10.00, बैरगनिया रिंग बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.60 का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ. एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य** :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में प्रारंभिक कार्य प्री–लेवल पूर्ण किया जा चुका है। साथ हीं सीट प्रीपरेशन कर कार्य पूर्ण है। इस कार्य अन्तर्गत तटबंध के शीर्ष, स्लोप एवं टो भाग में पेड़ों को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार हटाने निमित्त क्षेत्रीय अभियंताओं एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है तथा पेड़ों को चिन्हित कर हटाये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में इस योजना के वर्क प्रोग्राम के अनुरूप कार्य के भौतिक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त कार्यबल एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं इस कार्य को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

5. <u>पुरानी कमला एवं जीवछ कमला का पुनर्जीविकरण कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया यह गया कि उड़ाही कार्य हेतु Pre-level का कार्य प्रगति में है। योजना अन्तर्गत 53.78 एकड़ का भू–अर्जन किया जाना है । जिसके लिए जिला भू–अर्जन कार्यालय में SIA का प्रतिवेदन प्राप्त है तथा मूल्यांकन समिति का गठन किया जा चुका है।

कार्य स्थल पर मानव बल, मशीनरी एवं सामग्री की कमी पर पृच्छा करने पर संवेदक द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्य स्थल पर मानव बल, मशीनरी एवं सामग्री पर्याप्त मात्रा में लगाकर कार्य में प्रगति लायी जायेगी। इस संबंध में संवेदक से Revise वर्क प्रोग्राम प्राप्त कर समानुपातिक प्रगति लाने हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया। साथ ही भू–अर्जन हेतु जिला पदाधिकारी एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर भू–अर्जन की प्रक्रिया में गति हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

6. **<u>सारण तटबंध के कि0मी0 40.00 से कि0मी0 80.00 के बीच चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं तटबंध शीर्ष पर कालीकृत सड़क निर्माण कार्य</u> :–**

मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत है तथा संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार कार्य को जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाना है। वर्तमान में कार्य अंतर्गत कोई बाधा नहीं है।

बैठक में क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को यह निदेशित किया गया कि समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के अनुरुप वांछित सभी संसाधन की कार्यस्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज)

7. **<u>बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 51.72 के बीच तटबंध का सुदृढीकरण, कालीकरण तथा सुरक्षात्मक कार्य</u> :–**

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि कार्य के दौरान स्थानीय बालू के उपयोग पर संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित बालू घाट से ही स्थानीय बालू का उपयोग करने के निदेश के कारण कार्य के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है।

इस समस्या के निराकरण हेतु बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को खनन विभाग के साथ बैठक आहुत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

मुख्य अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि तटबंध पर लगे विद्युत पोल शिफ्ट करने हेतु संबंधित विद्युत प्रमंडल से प्राक्कलन प्राप्त किया जा रहा है।

कार्य के कार्यान्वन में उपयोग होने वाले मिट्टी के लिए Mining plan को संबंधित खनन पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर पर्याप्त मात्रा में मानवबल एवं मशीनरी बढ़ा कर कार्य में प्रगति लाने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता, पटना एवं संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

8. <u>बाया नदी की उड़ाही कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि योजना में वैशाली जिला में 93.116 कि०मी० एवं समस्तीपुर जिला में 21.00 कि०मी० की लम्बाई में बाया नदी की उड़ाही कार्य किया जाना है।

कार्य की प्रगति के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वैशाली जिला में कार्य लगभग पूर्ण है परन्तु वर्तमान में समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी में हो रहे जल

प्रवाह के कारण बाधित है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–31.12.2025 है। वर्तमान में संवेदक द्वारा संशोधित वर्क्स प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कार्य को 31.05.2026 तक पूर्ण किये जाने का संशोधित लक्ष्य प्रस्तावित है। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत प्रतिवेदित है। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कार्य अंतर्गत अन्य कोई बाधा नहीं है।

बैठक में क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को यह निदेशित किया गया कि समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर)

9. <u>बरैला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किये जाने से संबंधित कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता द्वारा यह बताया गया कि योजनान्तर्गत 49.638 एकड़ का भू–अर्जन (RFCTLARR ACT-2013) के तहत किया जाना है। जिसके लिए समाजिक प्रभाव आकलन (S.I.A) का प्रारम्भिक ड्राफ्ट रिर्पोट जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को समर्पित किया जा चुका है। आज दिनांक 10.12.2025 को लोक सुनवाई निर्धारित की गई है।

इस क्रम में बैठक में यह निदेश दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर भू–अर्जन की प्रक्रिया में गति लाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

10. नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–कोसक से सीपहा पुल तक पंचाने नदी के दोनो <u>तट पर रीवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि कार्य के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है।

बैठक में कार्य स्थल पर समुचित मात्रा में मानवबल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता, पटना एवं संवेदक को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

11. <u>सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र में द्वितीय चरण का विकास कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा यह बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है एवं वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत है।

बैठक में कार्य स्थल पर समुचित मात्रा में मानव बल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कार्य में अपेक्षित तेजी लाकर कार्य ससमय पूर्ण करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता, समस्तीपुरएवं संवेदक को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

12. <u>रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध का निर्माण कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा यह बताया गया कि इस योजना में सन्निहित भू–अर्जन हेतु समर्पित अधियाचना के आलोक में समाजिक प्रभाव आकलन का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त है तथा भू–अर्जन हेतु गठित छः सदस्य दल द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया जा चुका है।

। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि समाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण कराते हुए इसके क्रियान्यवयन में तेजी लायी जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

13. चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि०मी० की लंबाई में गांगी नदी के दायें बाँध (आरा शहर सुरक्षा बाँध) पर सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1.00 कि०मी० की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बायें बाँध पर पक्कीकरण कार्य :–

इस योजना की समीक्षा के क्रम में कार्य स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप मानवबल, मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता नहीं पायी गयी । साथ हीं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह सूचित किया गया कि संवेदक द्वारा कार्य में वांछित प्रगति नहीं लाया जा रहा है। बैठक में इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि अगर संवेदक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की जाती है तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में स्पष्टीकरण पुछते हुए नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य अभियंता, पटना को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

14. खगड़िया नगर सुरक्षा बॉध का ऊच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण करने तथा एंटी फ्लड स्लूइस गेट का निर्माण कार्य :–

मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा यह बताया गया कि तटबंध पर स्थापित विद्युत पोल शिफ्टिंग विद्युत प्रमंडल द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु प्रावधानित राशि मुख्य अभियंता, समस्तीपुर के सक्षमता के अन्तर्गत होने के कारण अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही भौतिक प्रगति के सापेक्ष आवंटन अधियाचना समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

15. सिकरहट्टा–मंझारी निम्न बाँध, डगमारा मार्जिनल बाँध एवं निर्मली घेरा बाँध के मरम्मति एवं सड़क निर्माण कार्य :–

मुख्य अभियंता, वीरपुर के द्वारा दिनांक–10.12.2025 की बैठक में बताया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 86.00% एवं वित्तीय प्रगति 74.32% है तथा कार्य प्रगति पर है।

बैठक में कार्य की प्रगति संतोषजनक पाये जाने के क्रम में यह निदेशित किया गया कियोजना को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर)

16. जिला सीतामढ़ी अन्तर्गत बागमती नदी के तटबंध का टूटे हुए हिस्से की मरम्मति एवं बागमती नदी के दोनों तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कार्य (04 अदद) :–

वर्णित कार्य बाढ़ वर्ष 2025 से पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण किये जा चुके है परन्तु कार्यों की वित्तीय प्रगति 65 प्रतिशत होने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रबोधक द्वारा यह बताया गया कि प्रपत्र–8 एवं 9 की समीक्षा के क्रम में की गयी पृच्छा के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। इसी संदर्भ में यह निदेश दिया गया कि समीक्षोपरान्त नियमानुकूल शेष राशि का आवंटन शीघ्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

17. तिलावे नदी की उड़ाही कार्य :–

मुख्य अभियंता, वीरपुर द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में कार्यस्थल पर जल प्रवाह है जिसके कारण बाढ़ अवधि के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–31.12.2025 है। वर्त्तमान में भी कार्य प्रभाग में नदी में जल का प्रवाह है।

बैठक में यह बताया गया कि संवेदक द्वारा संशोधित वर्क्स प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कार्य को 31.03.2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 68 प्रतिशत तथा इस कार्य में कोई बाधा नहीं है।

बैठक में क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर)

18. कॉवर झील को जोड़ने वाले विभिन्न नालों की उड़ाही एवं चेक डैम निर्माण कार्य :–

मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में कार्य स्थल पर जल जमाव है। जिसके कारण बाढ़ अवधि के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया कि कार्य स्थल पर पर्याप्त मशीनरी एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तेयार करने का निदेश दिया गया जिसपर जल जमाव समाप्त होने पर कार्य त्वरित गति से प्रारम्भ की जा सके।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

19. रमजान नदी का डिसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन एवं सौंदर्यीकरण कार्य :–

मुख्य अभियंता, कटिहार द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बाढ़ अवधि के उपरांत भी कार्य प्रभाग में पानी प्रवाहित होने के कार्य प्रारम्भ करने में विलम्व हुआ है। एकरारनामा के अनुसाार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–31.01.2026 है। वर्त्तमान में भी कार्य प्रभाग अंतर्गत कतिपय स्थलों पर नदी का जमाव है। संवेदक द्वारा संशोधित वर्क्स प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कार्य को मार्च, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 24% प्रतिवेदित है तथा इस कार्य अंतर्गत अन्य कोई बाधा नही है।

क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को यह निदेशित किया गया कि समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार)

20. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घुड़दौड़ पोखर, पताही का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रुप में विकास कार्य :–

मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में कार्यस्थल पर जल–जमाव है, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई हो रही है।एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–31.12.2025 है। वर्त्तमान में कार्य प्रभाग अंतर्गत पोखर में जल–जमाव है। संवेदक द्वारा संशोधित वर्क्स प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कार्य को 15.05.2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा इस कार्य के क्रियान्वयन में अन्य कोई बाधा नहीं है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया कि कार्य स्थल पर पर्याप्त मशीनरी एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए जल–जमाव कम होने पर त्वरित गति से कार्य प्रारम्भ की जा सके।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

21. नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अन्तर्गत लोकाईन नदी के बाँये बांध पर ग्राम बेलदरीया बिगहा के समीप एवं हिलसा प्रखंड अन्तर्गत जमुआरा स्कूल से भूषणबिगहा तक तथा हिलसा प्रखंड अंतर्गत लोकाईन नदी के दायें बाँध पर सोहरापुर पुल से रेड़ी मुसहरी तक एवं करायपरसुराय प्रखंड अंतर्गत लोकाईन नदी के बायें बाँध पर ग्राम वाजितपुर से मुसाढ़ी तक कटाव निरोधक कार्य :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि कार्य के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है।

कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में मानवबल, मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता, पटना एवं संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

22. नालंदा जिला के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत ग्राम–नारी मकनपुर से हरनौत प्रखंड अंतर्गत ग्राम–धमौली तक अधियारा नदी की तल सफाई एवं 08 अदद RCC- AFS के निमार्ण कार्य :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

23. सुरसर नदी का डिसिल्टेशन/चैनेलाइजेशन कार्य :–

मुख्य अभियंता, वीरपुर द्वारा बताया गया कि सुरसर नदी का डिसिल्टेशन/चैनेलाइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर)

24. पूर्णिया जिलांतर्गत कसबा प्रखंड में कारी कोशी दायां तटबंध के उच्चीकरण एवं सुढ़ीकरण के साथ सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य :–

मुख्य अभियंता, कटिहार द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार कार्य को जनवरी, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाना है, परंतु कार्यस्थल पर वर्क्स प्रोग्राम के अनुरुप वांछित संसाधन यथा मशीनरी/श्रमबल आदि की कमी के कारण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति मात्र 4% है, इस कार्य अंतर्गत अन्य कोई बाधा नही है।

बैठक में असंतोष व्यक्त करते हुए उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि को यह निदेशित किया गया कि समर्पित वर्क्स प्रोग्राम के अनुरुप वांछित सभी संसाधन की कार्यस्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार)

25. ग्राम पुलपर के समीप लोकाईन नदी के दायें बाँध पर कटाव निरोधक कार्य :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि कार्य स्थल पर जल प्रवाह के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी परन्तु वर्तमान में कार्य के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है ।

मुख्य अभियंता, पटना एवं संबंधित संवेदक को कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में मानवबल, मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

26. कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखंड के गोगाबील झील के पास एण्टी फ्लड स्लूईस का निर्माण कार्यः–

मुख्य अभियंता, कटिहार द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्यस्थल के समीप जल–जमाव होने के कारण वर्तमान में कार्य बंद है, साथ ही, 15 दिसम्बर, 2025 के उपरांत ही कार्य प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की गई। कार्य की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत प्रतिवेदित है एवं कार्य अंतर्गत अन्य कोई बाधा नही है। एकरारनामा के अनुसाार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–31.01.2026 है।

बैठक में क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को यह निदेशित किया गया कि कार्य स्थल के समीप जल जमाव की स्थिति खत्म होते ही अवशेष कार्यो को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार)

27. धनवाडीह जमींदारी बांध का पुनर्स्थापन कार्य :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि संदर्भित कार्य पूर्ण करा लिया गया है। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन उपरांत नियमानुकूल भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

28. गोपालाबाद जमींदारी बांध का पुनर्स्थापन कार्य :–

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा यह बताया गया कि कार्य पूर्ण करा लिया गया है। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन उपरांत नियमानुकूल भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

29. दोन शाखा नहर के 0.00 कि0मी0 से 93.75 कि0मी0 तक सेवा पथ का पुर्स्थापन (कालीकरण) कार्यः–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी द्वारा बताया यह गया कि कार्य के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं है।

इस क्रम में उनको निदेशित किया गया कि इस योजना को ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित की जाय।

(मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी)

30. पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित करने एवं इससे सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण कार्यः–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि योजना हेतु आवश्यक भू–अर्जन सतत लीज द्वारा किया जा रहा है।

इस क्रम में यह निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी, दरभंगा/मधुबनी से समन्वय स्थापित कर कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा (नोडल) कैम्प लगाते हुये रैयतों को माह जनवरी–2026 तक भुगतान करते हुए भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय।

(मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा)

31. सोन–कोहिरा लिंक सिंचाई योजना :–

संवेदक द्वारा समर्पित Works Programme के सापेक्ष योजना की वास्तविक भौतिक प्रगति कम पायी गयी। इस क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा यह बताया गया कि खरीफ सिंचाई के उपरान्त नहरों में कतिपय जगहों पर जल–जमाव होने से कार्य विलम्ब से प्रारंभ किया गया है जिसके कारण कार्य की भौतिक प्रगति कम है। यह आश्वस्त किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ द्वारा बताया यह गया कि योजना के कार्यान्वयन हेतु नहर बांध पर अवस्थित विद्युत पोल शिफ्ट करना आवश्यक है, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, भभुआ के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, भभुआ द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्राक्कलन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

साथ ही यह भी बताया गया कि योजनान्तर्गत कुल 04 पंचाटियों से 4.95 एकड़ का भू–अर्जन किया जाना है। उक्त के लिए समाहर्त्ता, कैमूर से भू–मुआवजा हेतु संभावित राशि (59.40 करोड़ रूपये) से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके क्रम में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि अधिग्रहण का आँकड़ा रैयतवार उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी, चैनपुर से अनुरोध किया गया है।

उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया यह गया कि कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत योजना को पूर्ण कर लिया जायेगा।

बैठक में यह निदेश दिया गया कि भू–अर्जन संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण करायी जाय। साथ ही स्थल पर समुचित मात्रा में मानव बल, सामग्री, मशीनरी की उपलब्धता तथा Key Personnel की उपस्थिति एवं Works Programme के अनुरूप कार्य की प्रगति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ/ कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ/कार्य से संबंधित संवेदक)

32. उद्वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा यह बताया गया कि योजनान्तर्गत रूपांकण संबंधी कार्य पूर्ण है, जाँच एवं अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्थल पर संवेदक द्वारा कैम्प ऑफिस तैयार किया जा रहा है। दो दिनों में मिट्टी कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी प्रकार की बाधा नहीं है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर निर्धारित समय सीमा में योजना पूर्ण कर लिया जायेगा।

बैठक में यह निदेश दिया गया कि कार्य स्थल पर समुचित मात्रा में मानव बल, सामग्री, मशीनरी की उपलब्धता एवं Key Personnel की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए Works Programme के अनुरूप कार्य की प्रगति प्राप्त की जाय।

(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी/अधीक्षण अभियंता, सोन बराज अंचल, डिहरी/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर/कार्य से संबंधित संवेदक)

33. <u>सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर के 54.25 कि०मी० से निःसृत बगही–कुरारी लिंक कैनाल का पुनर्स्थापन कार्य</u> :–

संवेदक द्वारा समर्पित Works Programme के सापेक्ष योजना की वास्तविक भौतिक प्रगति कम पायी गयी।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा बताया गया कि खरीफ सिंचाई के उपरान्त नहरों में कतिपय जगहों पर जल–जमाव होने के कारण विलम्ब से कार्य प्रारंभ किये जाने कारण कार्य की भौतिक प्रगति कम है। उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

बैठक में उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत योजना को पूर्ण कर लिया जायेगा।

समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिया गया कि कार्य स्थल पर समुचित मात्रा में मानव बल, सामग्री, मशीनरी की उपलब्धता एवं Key Personnel की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए Works Programme के अनुरूप कार्य की प्रगति प्राप्त की जाय।

(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ/ कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ/कार्य से संबंधित संवेदक)

34. <u>पंचाने सिंचाई योजना</u> :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि पंचाने सिंचाई योजनांतर्गत भौतिक प्रगति 11 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 6 प्रतिशत है। इस योजना के दायां मुख्य नहर के 8.34 कि०मी० पर एक अदद् क्रॉस रेगुलेटर एवं एक अदद् हेड रेगुलेटर को तोड़कर नये संरचना का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए कार्य स्थल पर अवस्थित विद्युत पोल तार सहित हटाने की आवश्यकता है। विद्युत पोल तार सहित हटाने हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राजगीर द्वारा कुल रु० 5,33,578.00 का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। पंचाने सिंचाई योजना हेतु रु० 1.00 करोड़ का अधियाचना भेजा गया है।

पोल Shifting हेतु आकलिक राशि की स्वीकृति मुख्य अभियंता की सक्षमता में होने के क्रम में यह निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता अपने स्तर से पोल विस्थापन की कार्रवाई की जाय। साथ ही वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार मानव बल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री का उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/ संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जहानाबाद)

35. **सकरी सिंचाई योजना के वाजिदपुर से निःसृत मिरजैन नहर प्रणाली, बरगैन वितरणी एवं इससे निःसृत अन्य वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य** :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा यह बताया गया कि नहरों के पुनर्स्थापन हेतु नहरों के अन्दरूनी भाग में उगे पेड़ों के पातन कराया जाना है। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं एवं वन प्रमंडल, जमुई के पदाधिकारी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा वनागार का जगह शेखपुरा में चिन्हित किया जा चुका है।

इस योजनांतर्गत बाधक बन रहे नहरों में अवस्थित पोलों की संख्या, नहरों के बांध पर 590, चार्ट लैंड में 31 एवं नहर बेड में 185 है। पोल हटाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा पोल के विस्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी राशि लगभग रु० 8.00 करोड़ है। तैयार किये गये प्राक्कलन उर्जा विभाग में स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

बैठक में यह निदेश दिया गया कि पेड़ों के पातन तथा पोल का विस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द करते हुए निर्धारित वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार आवश्यक मानव बल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री का उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/
संवेदक घनाराम इन्फ्राइंजीनियर प्रा० लि०, झाँसी, उ०प्र०)

36. **बतसपुर वीयर योजना अंतर्गत मोराटाल मुख्य पईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य** :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा यह बताया गया कि नहरों पर अवस्थित पोल को विस्थापित करने की आवश्यकता है। इसपर निदेश दिया गया कि संबंधित विद्युत अभियंता के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कराते हुए पोल का विस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द कराया जाय।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा यह भी बताया गया कि भौतिक प्रगति 1 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 5 प्रतिशत है। कार्य की भौतिक प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि कार्य में तेजी लाकर वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार अतिरिक्त मानव बल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री का उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/
संवेदक मातेश्वरी कंस्ट्रक्सन, औरंगाबाद)

37. **मोरहर नदी पर कोठी वीयर के निर्माण एवं इससे निःसृत पईन के पुनर्स्थापन कार्य** :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा यह बताया गया कि इस योजना का एकरारनामा दिनांक 06.10.2025 किया गया है तथा कोठी वीयर का रूपांकण एवं आलेख्य सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में योजनांतर्गत कोई व्यवधान नही है।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि यह कार्य में तेजी लाते हुए वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार आवश्यक मानव बल, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री का उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/
संवेदक मातेश्वरी कंस्ट्रक्सन, औरंगाबाद)

38. <u>सोन नदी से उद्वह सिंचाई के माध्यम से विशुनपुर उपवितरणी के शेष कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद द्वारा यह बताया गया कि इस योजना का एकरारनामा दिनांक 25.08.2025 किया गया है तथा इसकी भौतिक प्रगति 0.25 प्रतिशत एवं इसकी वित्तीय प्रगति शून्य है।

बैठक में उपस्थित संवेदक को कार्य की प्रगति में तेजी लाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त मानव एवं मशीनरी बल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/संवेदक सुधाकारा इन्पफ्राटेक प्रा0लि0, हैदराबाद)

39. <u>औरंगाबाद जिलान्तर्गत "नगर परिषद् औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौन्दर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य</u> :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद द्वारा यह बताया गया कि कार्य स्थल पर अतिक्रमण की समस्या है एवं जिसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को दी गई है।

इस संबध में योजना के कार्यान्वयन में बाधक बन रहे कार्य स्थल पर अतिक्रमण को हटाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से समन्वय स्थापित कर बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद)

40. <u>बरनार जलाशय योजना</u> :–

योजना की समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन हेतु वांछित शेष गैर वन भूमि 307.43 एकड़ को पुनपुन बराज योजना हेतु अधिग्रहित भूमि में से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि का मौजा, रकबा, प्रकार एवं आकार चिन्हित कराते हुये प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–1 एवं 2, गोह को निदेशित किया गया है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गैर वन भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हे० होना चाहिए।

अतः कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–1 एवं 2, गोह को अधिग्रहित भूमि का रकवा ग्रामीण नक्शे पर दर्शाते हुए प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित करने एवं इसकी समीक्षा प्रधान सचिव महोदय द्वारा अलग से दिनांक 17.12.2025 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में किये जाने का निदेश दिया गया।

योजना के कार्यान्वयन हेतु वांछित वन भूमि अपयोजन निमित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को क्षेत्रीय वन प्रमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने गणना पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही वांछित शेष गैर वन भूमि तथा भुगतेय राशि की गणना के उपरांत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ प्रधान सचिव महोदय की बैठक आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा यह बताया गया कि योजनांतर्गत बायें एवं दायें मुख्य नहर के निर्माण हेतु 90.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा कुल 14 अदद मौजा के विरूद्ध 06 अदद मौजा का सत्यापन कर लिया गया है तथा शेष 08 अदद मौजा का

सत्यापन दिनांक 16.12.2025 तक होना संभावित है। जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन के अध्ययन हेतु राशि रु० 18.83 लाख की मांग की गयी है, जिसका आवंटन प्रक्रियाधीन है।

योजनांतर्गत दायें एवं बायें मुख्य नहर हेतु पूर्व की अधिग्रहित भूमि (जो नहर क्षेत्र के रेखांकण के अंतर्गत है) का उपलब्ध भू–अर्जन अभिलेख/LA Plan अभिलेख/नक्शा इत्यादि के आधार पर भौतिक सत्यापन (मौजा, थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या, इत्यादि) एवं भू–धारियों को किये गये भुगतान संबंधी अभिलेख से भुगतान संबंधी जाँच/सत्यापन कराने हेतु निदेशित किया गया। निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार परिक्षेत्राधीन अन्य प्रमंडलों के अभियंताओं की समिति गठित कर इस कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा यह भी बताया गया कि योजनांतर्गत दायां कमाण्ड क्षेत्र (12180 हे०) का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि बायां कमाण्ड क्षेत्र (23924 हे०) का सर्वेक्षण 19400 हे० में पूर्ण है तथा शेष प्रगति में है। इस क्रम में निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत वितरण प्रणाली का रेखांकण शीघ्र निर्धारित करते हुए बिहार भूमिगत पाईपलाईन (भूमि उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1985 में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः इसका उल्लेख करते हुए वांछित Environmental Clearance प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को निर्धारित अवधि से कम समय में पूर्ण किये जाने की संभाव्यता तलाशने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा/मुख्य अभियता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–1 एवं 2, गोह/संवेदक)

41. <u>बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य</u> :–

योजना की समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि कियोजनांतर्गत बिजीखोरवा सिंचाई कॉलोनी में प्रस्तावित डिटेंशन टैंक–सह–पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रारंभ है, परन्तु पर्याप्त श्रमबल एवं मशीनरी के अभाव में इसकी प्रगति काफी धीमी है। साथ ही योजना के वर्क्स प्रोग्राम के अनुसार अबतक 25 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त होनी थी, परन्तु योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति मात्र 04 प्रतिशत है।

बैठक में योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए यह निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर अपने स्तर से संबंधित संवेदक को कार्य की धीमी प्रगति के कारण चेतावनी देंगे। साथ ही कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में श्रमबल एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु संवेदक को निदेश देंगे एवं कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन –मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/बिजीखोरवा/संवेदक)

42. <u>अपर किउल जलाशय योजनांतर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.60 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य</u> :–

योजना की समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत है, परन्तु इसकी वित्तीय प्रगति शून्य है।

निदेश दिया गया कि योजना की भौतिक प्रगति के सापेक्ष व्यय सुनिश्चित की जाय एवं कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में श्रमबल एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन –मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकंदरा/जमुई/संवेदक)

43. <u>बांका जिलांतर्गत कतरिया नदी पर वीयर एवं राजडांड़ पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य</u> :–

योजना की समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत है, परन्तु इसकी वित्तीय प्रगति शून्य है।

निदेश दिया गया कि योजना की भौतिक प्रगति के सापेक्ष व्यय सुनिश्चित की जाय एवं कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में श्रमबल एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय।

(कार्रवाई:–मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका/संवेदक)

44. **<u>सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अंतर्गत बदुआ जलाशय के बायां मुख्य नहर के खैराती खां वितरणी के अधीन चौरा उपवितरणी, कमरगावां डांड़, फूसना डांड़ एवं गाजीपुर डांड़ का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य</u> :–**

योजना की समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि योजना का प्री–लेवल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है तथा योजनांतर्गत कमरगावां डांड़ एवं चौरा उपवितरणी में मिट्टी कार्य प्रगति पर है। योजनांतर्गत नहरों पर 377 अदद वृक्षों का पातन/विस्थापन तथा 133 अदद विद्युत पोलों के विस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 01 प्रतिशत है, परन्तु इसकी वित्तीय प्रगति शून्य है।

निदेश दिया गया कि वृक्षों के पातन/विस्थापन तथा विद्युत पोलों के विस्थापन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर वृक्ष पातन/विस्थापन एवं विद्युत पोलों का विस्थापन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय एवं योजना की भौतिक प्रगति के सापेक्ष व्यय सुनिश्चित किया जाय, साथ ही कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में श्रमबल एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन –मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/संवेदक)

- बैठक में यह निदेशित किया गया कि योजनओं की समीक्षा के क्रम में कतिपय संवेदक प्रतिनिधी की उपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए प्रगति यात्रा की योजनाओं की समीक्षा से संबंधित आगामी बैठकों में सभी योजनाओं के मुल संवेदक जो Proprietor/ Director स्तर के हो वही भौतिक रूप से उपस्थित होकर अथवा VC के माध्यम से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

- इस बैठक की कार्यवाही में दिये गये सभी निदेशों को सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के संवेदक/Director/Project Manager को इसकी प्रति उपलब्ध करायेगें एवं आगामी बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं की आगामी समीक्षा बैठक में इस बैठक में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के सापेक्ष्य Incremental प्रगति का भी उल्लेख कर प्रस्तुतीकरण पेश करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन –सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/–

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक–05/01/26

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

05/01/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक–05/01/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/01/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक–05/01/26

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/01/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक–05/01/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

05/01/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक– 05/01/26

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

05/1/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–पार्ट–I 08 पटना, दिनांक– 05/01/26

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/1/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार